राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
Website: rajsmsa.nic.in, Email ID : rcse.ict@gmail.com

रोबोटिक्स लैब्स संचालन हेतु दिशानिर्देश

(201 राजकीय विद्यालय)

इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ रोबोटिक्स लैब बुनियादी घटकों, सेंसर, इनपुट, आउटपुट, तार, कनेक्टर, यांत्रिक सामान और ब्रेडबोर्ड सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और कोडिंग के साथ बुनियादी प्रोजेक्ट बनाने के लिए यह कार्यक्रम 201 राजकीय विद्यालयों में संचालित है।

रोबोटिक्स लैब कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश

अ. कार्यक्रम का उद्देश्य एवं अपेक्षाएं :–

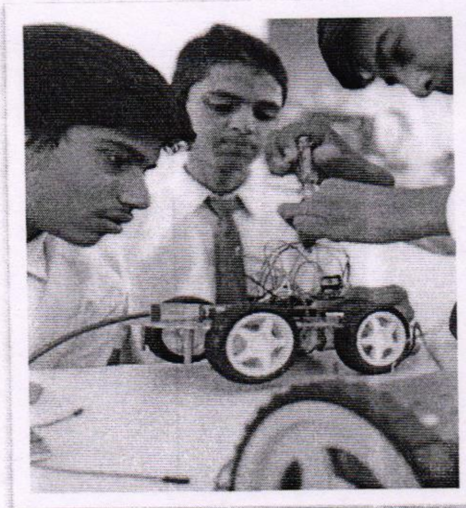

- इस परियोजना में इलक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग एवं आईटी संबंधित विभिन्न उपकरणों एवं सेंसर्स के उपयोग से सामान्य ज्ञान द्वारा विद्यार्थियों को नवीन वैज्ञानिक तकनीकी से अवगत कराया जाना है।
- सर्किट, सिमुलेशन और रियल–टाइम प्रोटोटाइप को सक्षम करने के लिए विचार, डिजाइन और कम्प्यूटेशनल सोच के तत्वों को समझने में विद्यार्थी सक्षम हो सकेगे।
- **एआई / एमएल डिजिटल प्रोग्राम** AI-ML लैब जिसमें AI लर्निंग, डेटा, डेटा विजुअलाइज़ेशन, समस्या समाधान और निर्णय लेने, AI भाषाएँ, नैतिकता और AI का परिचय शामिल है।

क्र.सं.	योजना का नाम	राजकीय विद्यालयों की संख्या
1	Robotics	201

1 वर्षीय संचालन अवधि

-

  विद्यालयों में सेवाप्रदाता द्वारा इंश्योरेन्स इत्यादि करवाया जाना है।
- रोबोटिक्स गतिविधियों के मॉडल एवं **Video Deshboard** पर लोगिन कर देखे जा सकते है। **Deshboard** _का लिंक, लोगिन, आईडी पासवर्ड ई–मेल द्वारा उपलब्ध करवा दिये गये है।

www.teachergyan.com www.rajteacher.in

. **कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तरदायित्व**

कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू रूप से निरन्तर गतिशील रखने हेतु निम्नानुसार प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता हैः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

- योजना का सघन प्रबोधन, संबलन एवं यथावश्यकता दिशा–निर्देश जारी करना।
- प्रबोधन हेतु निदेशालय स्तर पर एक अधिकारी को समन्वयक नियुक्त करना।

2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

- आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना।
- शाला दर्पण पोर्टल पर प्रबोधन मॉड्यूल निर्माण करवाना एवं प्रभावी प्रबोधन तथा मॉनिटरिंग करना।

3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर

- प्रबोधन हेतु संभाग / जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक निदेशक को समन्वयक नियुक्त करना।

4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

- समस्त विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब संबंधित गतिविधियों का जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना।
- नियुक्त किये गये नोडल अधिकारियों द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
- नोडल अधिकारियों द्वारा रोबोटिक्स लैब संबंधित गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट से परिषद मुख्यालय को अवगत करवाना।
- यदि उपकरण वारन्टी या गारन्टी में हो तो सम्बंधित सेवा प्रदाता कम्पनी से दूरभाष / ईमेल इत्यादि पर सम्पर्क कर उपकरण ठीक करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. विद्यालय स्तर पर (संस्था प्रधान)

- प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षण एवं रखरखाव हेतु संस्थाप्रधान द्वारा रोबोटिक्स लैब प्रभारी नियुक्त किया जाना।
- जिन विद्यालयों में राजकीय कम्प्यूटर अनुदेशक पदस्थापित है उनमें रोबोटिक्स लैब संचालन के कार्य का निर्वहन राजकीय अनुदेशक द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावें।
- विद्यालय स्तर पर प्रति सप्ताह कम से कम 1 घण्टे का प्रशिक्षण कालांश कक्षा 6 से 12 हेतु निधारिंत करना।
- प्रशिक्षण समय सारणी के अन्तर्गत विधार्थियो का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना।
- विद्यालय स्तर पर विधाथियों के ज्ञान संवर्धन हेतु प्रतिक्रिया फार्म (Feed Back Form) का सयोजन करना।

www.teachergyan.com www.rajteacher.in

- प्रशिक्षण उपरान्त इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का यथा स्थान पर सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त विद्यार्थियो हेतु मासिक आंकलन की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करना।
- प्रतिदिन रोबोटिक्स लैब_का उपयोग जरुर हो जिससें समस्त उपकरण क्रियाशील रहें।
- प्रत्येक विद्यार्थी को रोबोटिक्स लैब_के उपयोग का अवसर दें।
- लैब प्रभारी के द्वारा रजिस्टर में रोबोटिक्स लैब के प्रयोग से संबंधित उपयोग विद्यार्थियों द्वारा किये जाने का दिनांक, कक्षा एवं कालांश का रिकॉर्ड रजिस्टर में संधारण किया जाना है।

6. फर्म स्तर पर

- आपूर्तिकर्ता फर्म (**M/s Eduspark International Pvt ltd**.) द्वारा लैब संचालन के दौरान उपकरणों के आने वाली परेशानी हेतु **हेल्पलाइन नम्बर 9829293732** (ई–मेल **Hukam.singh@eduspark.co.in**) के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा साप्ताहिक वर्यचुल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रशिक्षण के पश्चात् शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लॉगिन आईडी तैयार करना एवं विद्यार्थियो की प्रगति डेश बोर्ड द्वारा मॉनिटर करना।

संलग्नः– विद्यालयों की सूची

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिप / जय / आईसीटी / Gen. / 2024 / 8923 दिनांकः 1 / 2 / 2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक (I&II), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. उपायुक्त–प्लान, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग, शिक्षा विभाग।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा।
10. मैसर्स **M/s Eduspark International Pvt ltd**
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.teachergyan.com www.rajteacher.in